न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी : ओम कसेरा I.A.S.

प्रकरण संख्या – 62/2016 (अपील)

1. बालचंद आत्मज श्री भैरूलाल, आयु 81 वर्ष, जाति माली, निवासी म0नं0 2/52, फतेहगढी, रामपुरा, कोटा, मृतक जरिये कायम मुकामान–

1/1 मुकेश बनवाडिया आत्मज स्व0 बालचन्द बनवाडिया

1/2 श्रीमति मन्जू सैनी पत्नि श्री नन्दकिशोर सैनी पुत्री बालचन्द

2. गुलाबचंद आत्मज श्री भैरूलाल, आयु 68 वर्ष, जाति माली, निवासी म0नं0 2/52, फतेहगढी, रामपुरा, कोटा, राजस्थान

––अपीलाण्ट.

बनाम

1. मूलचंद आत्मज फूलचंद आयु 40 वर्ष, जाति माली, निवासी म0नं0 2/52, फतेहगढी, रामपुरा, कोटा,
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा, जिला कोटा, राजस्थान

––रेस्पोडेन्टस.

अपील अर्न्तगत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व आदेश न्यायालय तहसीलदार लाडपुरा, बउनवान सरकार बनाम मूलचंद, आदेश क्र0 राजस्व/161/565 दिनांक 10.02.2016

निर्णय

दिनांक– 04/03/2020

1. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लाडपुरा के आदेश क्रमांक 565 दिनांक 10.02.2016 से पटवारी हल्का लाडपुरा की मौका रिपोर्ट से आवेदनकर्ता मूलचंद पुत्र फूलचंद निवासी फतेहगढी कोटा को मकानों व दीवार क्षति होने से दो पेड अंग्रेजी बबूल काटने की सशर्त स्वीकृती दी गई।

2. अपीलांट द्वारा उक्त आदेश की अप्रसन्नता में यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 1.3.2016 को प्रस्तुत की गई है कि आदेश जैर अपील अपीलांट को योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्यक सूचना एवं सुनवाई तथा साक्ष्य का अवसर दिये बिना एक तरफा रूप से जारी किया गया हैं, जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतो के विपरीत होने से निरस्तनीय हैं। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट नं0 1 द्वारा एक प्रार्थना–पत्र दिनांक 09.02.2016 को इस आशय का पेश किया गया हैं कि उसके मकान के पास व पीछे दो पेड जंगली बबूल के लगे हुये हैं, जो काफी पुराने व जर्जर हैं, जिनसे उसे जान माल का खतरा हैं, अतः दोनों पेड

जिला कलेक्टर
कोटा

Scanned by CamScanner

को कटवाये जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करे। इस प्रार्थना–पत्र पर रेस्पोडेन्ट नं0 2 तहसीलदार महोदय द्वारा मौके की रिपोर्ट मंगवाई गई, रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा एक तरफा रूप से तैयार कर पेश की गई हैं और इस रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि पर उगे हुये पेडों के स्वामित्व व कब्जे के संबंध में दस्तावेज को देखे बिना रेस्पोडेन्ट नं0 1 के कथन पर विश्वास करते हुये पटवार हल्का की रिपोर्ट पर विश्वास कर पेड कटवाये जाने के आदेश प्रदान किये हैं, उपरोक्त आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विरूद्ध होने तथा विधि के सुस्थापित सिद्धांत के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं। रेस्पोडेन्ट नं0 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वास्तविक स्थिति को छिपाया हैं और वादग्रस्त मकान जिसके कि संबंध में माननीय अपर जिला न्यायाधीश, कोटा के यहां विभाजन के संबंध में पारित निर्णय व डिक्री को छुपाते हुये अधीनस्थ न्यायालय को धोखे में रखकर आदेश प्राप्त किया हैं, चूंकि जिस स्थान पर पेड लग हुये हैं, वह स्थान अपीलांट व रेस्पोडेन्ट के मकान के पश्चिम दिशा पर स्थित हैं। उक्त जमीन पर लगभग 50 वर्ष से भी अधिक समय से अपीलांट का कब्जा निरंतर निर्बाध, शांति पूर्ण व पब्लिकली खुल्लमखुल्ला चला आ रहा हैं, जिसके नियमन के संबंध में नगर निगम कोटा के यहां कार्यवाही जैरकार हैं। इन सम्पूर्ण तथ्यों को छुपाते हुये रेस्पोडेन्ट नं0 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय से पेड कटवाये जाने के संबंध में जो आदेश जारी करवाया हैं, वह निरस्त किये जाने योग्य हैं साथ ही चूंकि उक्त आदेश की संतुष्टि में नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा पेडों को काट दिया गया हैं, ऐसी स्थिति में पुनः आदेश के पूर्व की स्थिति को रेस्पोडेन्ट नं0 1 के विरूद्ध आदेश पारित करते हुये रेस्टोर करवाया जाना आवश्यक हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिन हल्का पटवारी महोदय की रिपोर्ट पर विश्वास किया गया हैं, उन पटवारी महोदय द्वारा अपीलांट को तलब नहीं किया गया हैं और ना ही उनकी उपस्थिती में मौके की रिपोर्ट तैयार की हैं और ऐसी रिपोर्ट पर विश्वास करते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त आदेश पारित किया हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में यह शर्त अंकित की थी कि दो पेडो के बदले चार पेड लगाये जावे। आज दिनांक तक रेस्पोडेन्ट नं0 1 ने उक्त आलौच्य आदेश दिनांक 10.02.2016 की पालना में चार पेड नहीं लगाये हैं। चूंकि अपीलांट के कब्जे वाली भूमि से रेस्पोडेन्ट ने पेडों को कटवाया हैं, ऐसी स्थिती में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये आदेश को निरस्त करते हुये रेस्पोडेन्ट को यह आदेशित किया जावे कि वह अपीलांट के कब्जे वाली वादग्रस्त खुली भूमि जिस पर कि पेड लगे हुये थे, पर किसी प्रकार की कोई दखलंदाजी न करे और जबरदस्ती व ताकत के बल पर कब्जा करने का प्रयास न करे तथा आदेश के पूर्व की स्थिति को बहाल रखे और अपीलांट्स को उक्त भूमि का शांति पूर्ण रूप से उपयोग उपभोग करने देवे। कटवाये गये पेड अपीलांटस द्वारा स्वयं उगाये गये थे, जिनको भारी श्रम करते हुये इस स्थिति में खडे किये। ऐसी स्थिति में रेस्पो0 नं0 1 के विरूद्ध इस आशय का आदेश भी पारित किया जाना आवश्यक हैं कि वह अपीलांट्स को पेड कटवाये जाने की एवज में अपीलांट्स को प्रत्येक पेड की कीमत लगभग तीस हजार रूपये प्रति के हिसाब से कुल 60,000/– रूपये की रकम दिलवायी जावे।

जिला कलेक्टर
कोटा

Contd....2...

Scanned by CamScanner

रेस्पोडेन्ट नं0 1 ने पुलिस थाना रामपुरा कोतवाली की कार्यवाही का रंजिशवश बदला लेने की भावना से रेस्पोडेन्ट ने सम्पूर्ण तथ्यों को और न्यायालय से पारित विभाजन की डिक्री को छुपाते हुये अधीनस्थ न्यायालय से आदेश पारित करवाया हैं, जिसे अपास्त किया जाकर वापिस रेस्टोर करवाया जाना आवश्यक हैं।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया, रेस्पो0 की ओर से वकील उपस्थित । पेरोकार सरकार उपस्थित । वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

4. अपीलांट द्वारा दौराने बहस अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट नं0 1 द्वारा एक प्रार्थना–पत्र दिनांक 09.02.2016 को इस आशय का पेश किया गया हैं कि उसके मकान के पास व पीछे दो पेड जंगली बबूल के लगे हुये हैं, जो काफी पुराने व जर्जर हैं, जिनसे उसे जान माल का खतरा हैं, अतः दोनों पेड को कटवाये जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करे। इस प्रार्थना–पत्र पर रेस्पोडेन्ट नं0 2 तहसीलदार महोदय द्वारा मौके की रिपोर्ट मंगवाई गई, रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा एक तरफा रूप से तैयार कर पेश की गई हैं और इस रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि पर उगे हुये पेडों के स्वामित्व व कब्जे के संबंध में दस्तावेज को देखे बिना रेस्पोडेन्ट नं0 1 के कथन पर विश्वास करते हुये पटवार हल्का की रिपोर्ट पर विश्वास कर पेड कटवाये जाने के आदेश प्रदान किये हैं, उपरोक्त आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विरूद्ध होने तथा विधि के सुस्थापित सिद्धांत के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं। रेस्पोडेन्ट नं0 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वास्तविक स्थिति को छिपाया हैं और वादग्रस्त मकान जिसके कि संबंध में माननीय अपर जिला न्यायाधीश, कोटा के यहां विभाजन के संबंध में पारित निर्णय व डिक्री को छुपाते हुये अधीनस्थ न्यायालय को धोखे में रखकर आदेश प्राप्त किया हैं, चूंकि जिस स्थान पर पेड लग हुये हैं, वह स्थान अपीलांट व रेस्पोडेन्ट के मकान के पश्चिम दिशा पर स्थित हैं। उक्त जमीन पर लगभग 50 वर्ष से भी अधिक समय से अपीलांट का कब्जा निरंतर निर्बाध, शांति पूर्ण व पब्लिकली खुल्लमखुल्ला चला आ रहा हैं, जिसके नियमन के संबंध में नगर निगम कोटा के यहां कार्यवाही जैरकार हैं। इन सम्पूर्ण तथ्यों को छुपाते हुये रेस्पोडेन्ट नं0 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय से पेड कटवाये जाने के संबंध में जो आदेश जारी करवाया हैं, वह निरस्त किये जाने योग्य हैं साथ ही चूंकि उक्त आदेश की संतुष्टि में नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा पेडों को काट दिया गया हैं, ऐसी स्थिति में पुनः आदेश के पूर्व की स्थिति को रेस्पोडेन्ट नं0 1 के विरूद्ध आदेश पारित करते हुये रेस्टोर करवाया जाना आवश्यक हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिन हल्का पटवारी महोदय की रिपोर्ट पर विश्वास किया गया हैं, उन पटवारी महोदय द्वारा अपीलांट को तलब नहीं किया गया हैं और ना ही उनकी उपस्थिती में मौके की रिपोर्ट तैयार की हैं और ऐसी रिपोर्ट पर विश्वास करते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त आदेश पारित किया हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में यह शर्त अंकित की थी कि दो पेडो के बदले चार पेड लगाये जावे। आज दिनांक तक रेस्पोडेन्ट नं0 1

जिला कलेक्टर
कोटा

Scanned by CamScanner

ने उक्त आलौच्य आदेश दिनांक 10.02.2016 की पालना में चार पेड नहीं लगाये हैं। चूंकि अपीलांट के कब्जे वाली भूमि से रेस्पोडेन्ट ने पेडों को कटवाया हैं, ऐसी स्थिती में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये आदेश को निरस्त करते हुये रेस्पोडेन्ट को यह आदेशित किया जावे कि वह अपीलांट के कब्जे वाली वादग्रस्त खुली भूमि जिस पर कि पेड लगे हुये थे, पर किसी प्रकार की कोई दखलंदाजी न करे और जबरदस्ती व ताकत के बल पर कब्जा करने का प्रयास न करे तथा आदेश के पूर्व की स्थिति को बहाल रखे और अपीलांट्स को उक्त भूमि का शांति पूर्ण रूप से उपयोग उपभोग करने देवे।

5. वकील रेस्पो0 ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट के मकान के पास एवं पीछे दो पेड जंगली बम्बूल के पेड लगे हुये थे जो काफी पुराने एवं जरजर होने से तथा गिरने की संभावना को देखते हुए उन पेडो को काटने की स्वीकृति हेतु दिनांक 9.2.2016 को सक्षम अधिकारी तहसीलदार साहब लाडपुरा के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया था, जिस पर हल्का पटवारी लाडपुरा से जांच रिपोर्ट ली जाने उपरान्त मौके की परिस्थिति को देखते हुए उन दो अंग्रेजी बम्बूल को काटने की स्वीकृति सशर्त जारी की गई थी कि 2 पेड के बदले 4 पेड लगाया जावें । उक्त आदेश की पालना में काटे गये पेडो की एवज में 4 पेड़ से अधिक मंदिर कोर्ट के बालाजी के उपर फतेहगढी रोड कोटा पर लगा दिये गये है जिनकी मैं देखभाल कर रहा हूँ । वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 जा.दी. के साथ शपथ पत्र मय फौटोग्राफ्स प्रस्तुत किये । अतः प्रार्थी रेस्पो0 द्वारा आदेश की शर्तो की पालना की गई है । अतः अपील खारिज फरमाई जावें ।

6. हमने वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया । यह अपील अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लाडपुरा द्वारा आदेश कमांक/राजस्व/16/565 दिनांक 10.2.2016 से पेड काटने की स्वीकृति आदेश के विरूद्व दिनांक 14.3.2016 के विरूद्व अपील पेश की गई है । प्रार्थी रेस्पो0 द्वारा कंटीले पेड़ अंग्रेजी बम्बूल काटने की स्वीकृति नियमानुसार आवेदन पेश करने पर बाद जांच सशर्त जारी की कई है जिसमें हम कोई दोष नहीं मानते है तथा रेस्पो0 द्वारा स्वीकृति आदेश की पालना में 4 से अधिक पेड़ लगाया बताया है । जिसका सत्यापन तहसीलदार लाडपुरा द्वारा भू अभिलेख निरीक्षक से कराये जाने की शर्त अपील निस्तारण किया जाना उचित प्रतीत होता है ।

7. अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर आदेश दिया जाता है कि पेड़ काटने की स्वीकृति की शर्त की पालना मौके पर की गई है या नहीं इसकी भौतिकरूप से जांच की जावें । यदि शर्त के मुताबिक 4 पेड़ नहीं लगाए गये है तो शर्त की पालना कराई जाकर पेड़ लगवाए जावें ।

8. निर्णय आज दिनांक 04.03..2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(ओम कसेरा)
जिला कलेक्टर, कोटा

Scanned by CamScanner